

प्राधान्य तहसीलदार कोटपुतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

अनूप सिंह (आरटीएस)

दिनांक-20.12.19

सरकार बनारस मानन

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। और सायल अनपस्थित।

संक्षेप में तथा इस प्रकार है कि पत्रावली हल्का रामसिंह पुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि सम्वत् 2076 में बाके ग्राम खडकी वीरमान तहसील कोटपुतली के ख० न० 327/0.14 है 0.14 है 0 किस्म 10 मी० रास्ता मी० में से कमरा: 0.0050 व 0.01 पर मान पुत्र रुडराम जाति जाट निवासी खडकी वीरमान ने फसल सरसों व गेहूँ कास्त कर नाजायज रूप से अधिकमण कर लिया है।

रिपोर्ट पत्रावली दर्ज रजिस्ट्रर कर और सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये। बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये। सूचनाप्रान्त और सायल उपस्थित नहीं आये तथा ना ही जबाब पेश किया अतः और सायलान के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यावाही की जाती है पत्रावली में संलग्न दरखास्त, पत्रावली हल्का रिपोर्ट पर और किया तो विवेचन में पाया कि पत्रावली हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मू-आमलेख निरीक्षक द्वारा जांच के उपरान्त पेश की गई है।

अतः और सायल मान पुत्र रुडराम जाति जाट निवासी खडकी वीरमान ने बाके ग्राम खडकी वीरमान के खसरा नंबर 327/0.14 है 0 व 98/2.0 किस्म जमीन 10 मी० रास्ता की मी० में से कमरा: 0.0050 व 0.01 है 0 मी० पर अधिकमण अवैध अधिकमण सिद्ध होता है अतः अधिकमियाँ के विरुद्ध कार्यावाही किया जाना उचित प्रतीत होता है। अगर अधिकमियाँ के विरुद्ध कार्यावाही नहीं की गई तो अधिकमण को बढ़ावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः और सायल मान पुत्र रुडराम जाति जाट निवासी खडकी वीरमान तहसील कोटपुतली जिला जयपुर को बाके ग्राम खडकी वीरमान तहसील कोटपुतली के ख० न० 327/0.14 है 0 व 98/2.0 है 0 किस्म 10 मी० रास्ता में से कमरा: 0.0050 व 0.01 है 0 मी० पर अधिकमी घोषित किया जाता है तथा और सायल को उक्त आराजीयात पर बोर्डे गेहूँ फसल सरसों व



निर्णय आज दिनांक 20.12.19 को सरे इजलास सुनाया गया।



हो।
निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम
निलामी, बेदखली आदेश जारी हो तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे।
दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है मुँ- अभिलेख निरीक्षण व पत्रवाही हल्का को वारंटे
नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 0.06 रु. का पचास गुणा 3 रु अर्था
गद्द को निलाम किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।